रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22082024-256538
CG-MH-E-22082024-256538

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469]	नई दिल्ली मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946
No. 469]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 16 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 508(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परमाणु ऊर्जा विभाग (सहायक निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान) भर्ती नियम 2014, परमाणु ऊर्जा विभाग (उप निदेशक, एटीआई) भर्ती नियम 2012, और परमाणु ऊर्जा विभाग (निदेशक, एटीआई) भर्ती नियम 2012 को परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में सहायक निदेशक, उप निदेशक और निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान **काडर**) भर्ती नियम**,** 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आवेदन**–ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसू**ची** के स्तंभ (1) **में वि**निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या**, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–पदों** की संख्या**,** उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो **उक्त** अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं**।**

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो **पूर्वोक्त** अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**-वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह **ऐसे** व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अ-चयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक निदेशक।	03*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।**
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: विभाग के किसी भी प्रशासनिक या लेखा काडर के अधिकारियों में से जो नियमित आधार पर पद धारण किए हों- (क) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में सहायक कार्मिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों: आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समतुल्य; (ii) केंद्रीय सरकार की स्थापना, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों तथा विनियमों का ज्ञान; (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान; (iv) उत्कृष्ट सम्प्रेषण कौशल। वांछनीय : शिक्षण अनुभव या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। **टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के चयन में, समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थी के सेवा रिकॉर्ड और अन्य मापदंडों का मूल्यांकन शामिल होगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग के संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप निदेशक।	01*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11(67700-208700 रुपए)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: (क) (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में विभाग के किसी भी प्रशासनिक या लेखा काडर के नियमित आधार पर सदृश श्रेणी में पद धारण करने वाले अधिकारियों में से या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में किसी भी केंद्रीय सेवा के समूह 'क' अधिकारी नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों: आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समतुल्य; (ii) केंद्रीय सरकार में स्थापना या वित्तीय प्रबंधन कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नियमों, विनियमों या प्रक्रिया की प्रयोज्यता में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री (10+2+3+2 प्रारूप) या विधि में स्नातक या समतुल्य; (ख) शिक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव; (ग) निम्नलिखित विषयों में विशिष्ट ज्ञान होना: (i) लोक प्रशासन; (ii) व्यवहार विज्ञान; (iii) संगठनात्मक व्यवहार; (iv) प्रबंधन सूचना प्रणाली; (v) सूचना प्रौद्योगिकी; (vi) निर्णय क्षमता ; (vii) निष्पादन बजट; (viii) प्राथमिक सांख्यिकी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के चयन में समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थी के सेवा रिकॉर्ड और अन्य मापदंडों का मूल्यांकन शामिल होगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग के संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. निदेशक	01*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपए)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में विभाग के केंद्रीकृत प्रशासनिक या लेखा काडर के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा में पद धारण किया हो। **टिप्पण 1** -पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2** –विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता पोषक काडर अधिकारियों की योग्यता पर आधारित होगी। **टिप्पण 3** -चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शामिल होगा। **टिप्पण 4** -जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य 3. केंद्रीकृत प्रशासन काडर के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव – सदस्य 4. संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य। 5. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट सुसंगत विषय विशेषज्ञ – सदस्य।	लागू नहीं होता।

अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: (क) (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में विभाग के किसी भी प्रशासनिक या लेखा काडर के ऐसे अधिकारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में विभाग के प्रशासनिक या लेखा काडर के ऐसे अधिकारियों या उप निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में से जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा में पद धारण किया हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में किसी भी केंद्रीय सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सहश्य पदधारण किया हो; या (iv) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में किसी भी केंद्रीय सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक र्अहताएं और अनुभव हों: आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री (10+2+3+2 प्रारूप) या विधि में स्नातक या समतुल्य; और (ii) केंद्रीय सरकार में स्थापना या वित्तीय प्रबंधन कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नियमों, विनियमों या प्रक्रिया की प्रयोज्यता में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (क) शिक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव; (ख) निम्नलिखित विषयों में विशिष्ट ज्ञान होना: (i) लोक प्रशासन; (ii) व्यवहार विज्ञान; (iii) संगठनात्मक व्यवहार; (iv) प्रबंधन सूचना प्रणाली; (v) सूचना प्रौद्योगिकी; (vi) निर्णय क्षमता; (vii) निष्पादन बजट; (viii) प्राथमिक सांख्यिकी। **टिप्पण 1 -**प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के चयन में, समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थी के सेवा रिकॉर्ड और अन्य मापदंडों का मूल्यांकन शामिल होगा। **टिप्पण 2 –**पोषक प्रवर्ग के प्रतिनियुक्त अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3 -**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी		

या किसी अन्य विभाग के संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.19/2/2022-सीसीएस/11838]

ए. आर.सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
NOTIFICATION

Mumbai, the 16th August, 2024

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Atomic Energy (Assistant Director, Administrative Training Institute) Recruitment Rules, 2014, the Department of Atomic Energy (Deputy Director, ATI) Recruitment Rules, 2012 and the Department of Atomic Energy (Director, ATI) Recruitment Rules, 2012, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Director, Deputy Director and Director in the Administrative Training Institute in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Administrative Training Institute Cadre) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-**The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.-**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Assistant Director.	03*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted.	Level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	**(7)**

Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee /Confirmation Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation: From amongst the officers of any Administrative or Accounts Cadres of the Department holding on regular basis the post of- (a) Assistant Personnel Officer or Section Officer or Assistant Accounts Officer in Level 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Bachelor's degree from a recognized University or equivalent; (ii) Knowledge of establishment, administrative and financial rules and regulations of the Central Government; (iii) Knowledge of computer applications; (iv) Excellent communication skills. Desirable: Teaching experience or organising training programmes. **Note 1.-**The selection of departmental officers through deputation shall involve evaluation of service record and other parameters of the eligible candidate by the Selection Committee constituted in the Department from time to time. **Note 2.-**The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other	Not applicable.	Not applicable.

organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.–**The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Deputy Director.	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted.	Level 11 (Rs. 67700- 208700) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: (a) (i) From amongst the officers of any Administrative or Accounts Cadres of the Department holding posts in analogous grade in Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix on regular basis or (ii) Group 'A' Officers of any Central Service holding analogous posts in Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix on regular basis; and (b) possessing the following educational qualification and experience: Essential: (i) Bachelor's degree from a recognized University or equivalent; (ii) five years' experience in application of rules, regulations or procedure in the area of establishment or financial management practices in the Central Government. Desirable: (a) Master's degree (10+2+3+2 format) or Bachelor of Law from a recognized University or equivalent; (b) experience in teaching or organising training programmes; (c) having specialised knowledge in the following subjects: (i) Public Administration;	Not applicable.	Not applicable.

(ii) Behavioral Sciences; (iii) Organisational Behavior; (iv) Management Information System; (v) Information Technology; (vi) Decision Making; (vii) Performance Budgeting; (viii) Elementary Statistics. **Note 1.-**The selection of departmental officers through deputation shall involve evaluation of service record and other parameters of the eligible candidate by the Selection Committee constituted in the Department from time to time. **Note 2.-**The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.–**The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
3. Director.	01*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted.	Level 12 (Rs.78800- 209200) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	**(7)**
Not applicable.	Not applicable.

(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Officers of the Centralised Administrative or Accounts Cadre of the Department holding the post in Level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade. **Note 1.-**The crucial date for eligibility shall be 1st January of the Vacancy Year. **Note 2.-**The *inter-se-seniority*, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Secretary, Department of Atomic Energy - Chairperson 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre - Member 3. Additional Secretary or Joint Secretary in-charge of Centralised Admin. Cadre - Member 4. Joint Secretary, Department of Atomic Energy – Member. 5. Expert in the relevant discipline to be	Not applicable.

the eligibility of feeder cadre officers. Note 3.-The selection shall involve interview of the candidates Note 4.-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (a) (i) From amongst the officers of Administrative or Accounts Cadres of the Department holding posts analogous grade in Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix; or (ii) From amongst the officers of Administrative or Accounts Cadres of the Department or Deputy Director, Administrative Training Institute, holding posts in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service; or (iii) Group 'A' Officers of any Central Service holding analogous posts in Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix on regular basis; or (iv) Group 'A' Officers of any Central Service in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- Essential: i. Master's degree (10+2+3+2 format) or Bachelor of Law from a recognized University or equivalent; and ii. five years' experience in application of rules, regulations or procedure in the area of establishment or financial management practices in the Central Government.	nominated by Secretary, Department of Atomic Energy.	

Desirable: (a) experience in teaching or organising training programmes; (b) specialised knowledge in the following subjects: (i) Public Administration; (ii) Behavioral Sciences; (iii) Organisational Behavior; (iv) Management Information System; (v) Information Technology; (vi) Decision Making; (vii) Performance Budgeting; (viii) Elementary Statistics. **Note 1.-**The selection of officers through deputation shall involve evaluation of service record and other parameters of the eligible candidate by the Selection Committee constituted in the Department from time to time. **Note 2.-**The deputationist officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note3.-**The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 4.–**The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. 19/2/2022-CCS/11838]

A. R. SULE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA